

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू पत्रकारिता का अवदान

मोहम्मद जीशान

सहायक प्रोफेसर

जामिया हमदर्द, नई दिल्ली

ईमेल- zishan789@gmail.com

शोध-सारांश

एक ऐसे समय में जब भारत गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ आजादी के लिये संघर्ष कर रहा था उस समय भाषाई पत्रकारिता ने कमाल का साहस दिखाते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया। इस दौरान कई भाषाई समाचार पत्र और पत्रिकाएँ ब्रिटिश दमनकारी नीतियों के कट्टर आलोचक बन गए। इन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन मुख्यतः स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किया जा रहा था, जो आमजन को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। इनमें भारतीय भाषाई पत्रकारिता के पितामह राजा राममोहन राय, मौलवी मोहम्मद बाकर, लाला हरदयाल, मौलाना आजाद, मौलाना अली जौहर, सर सैयद अहमद खां एवं स्वामी श्रद्धानंद जैसे अनगिनत नाम हैं, जिन्होंने भारतीय जनमानस के बीच राष्ट्रीय चेतना जाग्रत कर उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। अन्य भाषाई पत्रकारिता की तरह उर्दू पत्रकारिता ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वही रोल अदा किया जो अन्य भारतीय भाषाई पत्रकारिता भारतीय स्वतंत्रता के लिए कर रहे थे। उर्दू पत्रकारिता ने भी परतंत्र भारत में स्वाधीनता के लिए अलख जगाई।

मुख्य शब्द- उर्दू पत्रकारिता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानी, उर्दू पत्रकार, उर्दू संपादक

प्रस्तावना

आज जब 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तब ऐसे समय में हमें थोड़ा ठहर कर उन सभी कुर्बानियों को याद करने की आवश्यकता है, जिनकी वजह से हम आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने में सन् 1857 और सन् 1947 की दो अहम तारीखें देश के लिए महत्वपूर्ण रही हैं और इन दोनों ही तारीखों में उर्दू पत्रकारिता का एक अहम किरदार रहा है। 1857 की क्रांति में जिस पत्रकार का नाम पहली पंक्ति में रखा जा सकता है वो हैं - 'दिल्ली उर्दू अखबार' के संपादक और संस्थापक मौलाना मोहम्मद बाकर। उर्दू ही नहीं दूसरे अन्य भाषाई पत्रकारिता की दुनिया में जिस शख्स ने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी वो पहले शख्स मौलाना मोहम्मद बाकर ही हैं (चंदन, 2007)।

बात 1857 के उस दौर की है जब देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति चल पड़ी थी। उस समय ब्रिटिश सरकार की तरफ से देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप तेजी से बढ़ गया था। एक ओर जहाँ देश राजनीतिक तथा सामाजिक दखलअंदाजी के प्रति अंग्रेजों से संघर्ष कर रहा था, वहीं इसके सामने मज़हबी गुलामी के खतरे भी पैदा होने लगे थे। इस बैचैनी के माहौल में जब लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि अंग्रेजी

हुकूमत द्वारा गाय और सूअर के मांस एवं हड्डियों का इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों के लिए किया जा रहा, साथ ही भारतीय सैनिकों से जुड़ी यह खबर भी आम हो गयी कि सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जा रही बंदूकों की गोलियों में गायों और सूअरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल भारतीय सैनिक गोली चलाते समय अपने मुंह से कारतूस को खोलने किया करते थे (चंदन, 2007)। इसे लेकर मुल्क भर के लोगों के साथ भारतीय सिपाहियों में भी एक बैचेनी फैल गयी।

इसका बहिष्कार सिपाहियों में सबसे पहले मंगल पांडेय और उनके साथियों ने किया। जिसकी वजह से 1 अप्रैल, 1957 को मंगल पाण्डेय और उनके साथी को फांसी दे दी गयी और उनके अन्य साथियों से हथियार छीनकर फौज से बाहर कर दिया गया (नटराजन, 2010)। इस घटना के फौरन बाद मौलाना मोहम्मद बाक्र ने अपनी साप्ताहिक उर्दू 'देलही अखबार' का एक स्पेशल संस्करण इन घटनाओं के विरोध में निकाला जो मूल रूप से बगावती तेवर में अंग्रेजी हुकूमत का बहिष्कार कर रहा था (चंदन, 2007)। देश की अब तक की सबसे बड़ी और पहली क्रांति को दबाने तथा लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ पैदा हो रहे इस बगावत को रोकने और उनके मन में खौफ पैदा करने के लिए 16 सितंबर, 1857 को अंग्रेजों ने मौलाना मोहम्मद बाक्र को मौत की सजा सुनाई और वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए शहीद होने वाले पहले पत्रकार बन गए (चंदन, 2007)। इसके बाद अंग्रेजों ने देशभर में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने की पूरी कोशिश की। मौलवी मोहम्मद बाक्र की शहादत के साथ 'देलही उर्दू' अखबार का प्रकाशन भी बंद हो गया (चंदन, 2007)। देश के लिए मर-मिटने वाले इस शख्स ने अपनी जिंदगी भारत के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन अफसोस कि आज इनके नाम को जानने वालों की तादाद न के बराबर है। इतना ही नहीं, आज इनके शहर दिल्ली में इनके नाम पर एक भी यादगार चीज नहीं है जिससे की आनेवाली नस्ले इनकी कुर्बानी को याद कर सके।

उर्दू पत्रकारिता का शुरुआती सफर

उर्दू पत्रकारिता का प्रारंभ राजा राममोहन राय के प्रगतिशील विचार, राष्ट्रीय चेतना और जनतांत्रिक उद्घोष के साथ ही हुआ। कलकत्ता से 21 मार्च, 1822 को उर्दू पत्रकारिता के सफर की शुरुआत हरिहर दत्त ने 'जामे जहनुमा' नामक अखबार से की (चटर्जी, 2011)। हरिहर दत्त ईस्ट इण्डिया कंपनी में एक कर्मचारी थे। उस दौर में जब भारतीय पत्रकारिता अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रही थी तब ये अखबार पेशावराना अंदाज में मौजूदा अंग्रेजी अखबार के मुकाबले में काम कर रहे थे। इसमें उर्दू-फारसी के बेहतरीन लेख, सरकारी रिपोर्टों के प्रकाशन, खबरों की तरतीबी ढंग से प्रस्तुति और पाठक के विचार रखने के लिए जगह उपलब्ध करवाई जाती थी। यही खास बात रही कि 19वीं सदी में बेसतर उर्दू अखबारों ने इसके इसी अखबारी फॉर्मेट को भी अपनाया (चंदन, 2007)। पेशावराना अंदाज के बावजूद 'जामे जहनुमा' अपने खबरों के जरिये अंग्रेजों के खिलाफ सर बुलंद कर रहा था। इसने दिल्ली के एक अंग्रेज अफसर के खिलाफ मुगल बादशाह के दरबार में गुस्ताखी करने पर एक खास रिपोर्ट का प्रकाशन किया, जिससे खफा होकर इस अंग्रेज अफसर ने इसकी शिकायत अपने से बड़े अधिकारियों से कर डाली (कमाल, 2014)। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के चीफ सेक्रेटरी विलियम

बी. बैले ने इस अखबार की खबरों पर निरंतर अपनी नज़रें बनाये रखीं और एक वक़्त आया जब इस अखबार की खबरे उन्हें बेहद नागवार गुजरने लगी, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने इस अखबार के बारे में कहा कि यह अखबार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खतरा पैदा कर सकती है और इसमें प्रकाशित होने वाले खबर बगावती हैं (कमाल, 2014)।

इसके इतर कई लोग इसे उर्दू का पहला अखबार नहीं मानते। मसलन, मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपने पिता मौलवी मोहम्मद बाक्र के 'देल्ही उर्दू अखबार' को पहला उर्दू अखबार मानते हैं, जिसकी शुरुआत जून 1936 में हुई थी (चंदन, 2007)। जबकि मौलवी ज़काउल्लाह के अनुसार सैयद मोहम्मद खां की 'सैयदुल अखबार' उर्दू का पहला अखबार है (चंदन, 2007)। लेकिन जी.डी. चंदन ने अपने किताब 'ज़ामे ज़हनुमा: उर्दू सहाफत की शुरुआत' में तहकीकी लेख लिख कर यह साबित किया है कि उर्दू का पहला समाचारपत्र 'ज़ामे ज़हनुमा' ही है। इसके लिए इन्होंने नेशनल आर्काइव ऑफ इण्डिया, ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन और ओरिएंटल सेक्शन के रिकॉर्ड सेक्शन को खंगाला है (चंदन, 2007)।

राजा राममोहन राय भी अपने पत्र 'ब्रह्ममैनिक्ल मैगज़ीन' (अंग्रेज़ी, 1821), 'संवाद कौमुदी' (बंगला, 1820) और 'मिरातुल अखबार' (फारसी, 1822) के जरिये ब्रिटिश सरकार की राजनैतिक नीतियों को आम जनता के समक्ष रख रहे थे (नटराजन, 2010)। इस स्थिति को भांपते हुए तत्कालीन गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने 1823 ई. में प्रेस आर्डिनेंस बिल पास की (K.G.Joglekar, 2005)। इस बिल के तहत कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार से प्रिंटिंग लाइसेंस लिए बगैर किसी भी तरह का कोई पेपर मुद्रित नहीं कर सकता था। इस प्रेस आर्डिनेंस के अंतर्गत पत्र-पत्रिका, अखबार, किताबें आदि आती थीं। साथ ही प्रकाशित सामग्री को ब्रिटिश सरकार के पास भी भेजनी होती थी ताकि ब्रिटिश सरकार प्रकाशित सामग्री का निरीक्षण कर सके। इसकी वजह से 'कलकत्ता जर्नल' के संपादक को भारत छोड़ने का फरमान जारी किया गया (नटराजन, 2010)। इस कानून का मुखर रूप से विरोध करने वालों में राजा राममोहन राय अग्रणी थे। इस समय 'ज़ामे ज़हनुमा' के संस्थापक हरिहर दत्त ने भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ डाक सेवा में देशी और विदेशी अखबारों के बीच भेदभाव के प्रति अपनी आवाज़ बुलंद की, जो उस समय किसी अखबार के लिए ज़िन्दगी और मौत के सबब थी (कमाल, 2014)।

उर्दू पत्रकारिता के पेशेवर ढंग से कार्य करने के पीछे फारसी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रारंभ में, इसने उर्दू पत्रकारिता को एक बनी बनाई प्लेटफार्म दी, जिसपर उर्दू पत्रकारिता आगे चल सके। फारसी, पढ़े-लिखे और हुक्मरां तबकों की ज़बान रही है। मुगलों के ज़माने में 'वाक़या नवीस' और 'खुफिया नवीस' नामक दो संदेश-वाहक हुआ करते थे जो राज्यभर की सूचना मुगल दरबार में पेश किया करते थे (नटराजन, 2010)। उर्दू पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में ये संदेशवाहक मुल्क भर में फैले हुए थे और ईस्ट इण्डिया कंपनी तथा रियासती हुक्मरानों के लिए काम किया करते थे। फारसी और उर्दू पत्रकारिता के प्रारंभ में ये लोग इनके साथ जुड़ गए, जिससे उर्दू पत्रकारिता को काफी मज़बूती मिली। यही कारण रहा कि 'ज़ामे ज़हनुमा' अपने शुरुआती दौर से ही

पेशावराना ढंग से काम कर रहा था, क्योंकि उसके पास देशभर से लेख और समाचार प्राप्त हो रहे थे जोकि उस पत्र को एक अलग पैदान तक ले जाने में सहायक साबित हुआ।

दिल्ली से प्रकाशित होने वाला 'देलही अखबार' बहुत हद तक कंटेंट और पैकेजिंग के एतबार से 'ज़ामे ज़हनुमा' के आस-पास ही था (चंदन, 2007)। 'देलही अखबार' और 'ज़ामे ज़हनुमा' दोनों ही अखबारों में ज्यादातर किसी खबर का प्रकाशन उसके शहरों के नाम के साथ हुआ करता था जैसे- देल्ही के खबरें, लाहौर की खबरें, लखनऊ की खबरें आदि (चंदन, 2007)। यहाँ एक और बात गौर करने लायक है कि उस समय प्रिंटिंग मशीन कम होने के कारण प्रकाशन का कार्य हाथों से ही किया जाता था। इस बात के हजारों सबूत आज देश और विश्व के अलग-अलग आर्काइवों में मौजूद हैं। अगर उस ज़माने में भारत के बाज़ारों में प्रिंटिंग प्रेस आज की तरह मौजूद होती तो अंग्रेजी के साथ उर्दू पत्रकारिता की भी मज़बूत शुरुआत हुई होती।

उर्दू पत्रकारिता और स्वतंत्रता संग्राम

भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857) में उर्दू भाषा में प्रकाशित होने वाले पत्र-पत्रिकाओं ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के मुर्धन्य नेता अज़ीमुल्ला खान ने 8 फरवरी, 1857 को 'पायामे-आजादी' के नाम से हिंदी और उर्दू भाषा में एक पत्र प्रकाशित किया, जिसने एक अलग ही चिंगारी अंग्रेजों के खिलाफ जलाई (तिवारी, 2007, p. 85)। यह एक ऐसा शोला था जिसने अपनी प्रखर एवं तेजस्वी वाणी से लोगों में स्वतंत्रता का प्रदीप्त स्वर फूँका, जिससे अंग्रेजी हुकूमत घबरा उठी और इसे बंद कराने के लिये कोई कसर नहीं छोड़ी। इसने इस पत्र की प्रतियों को जब्त कर लिया और जिनके पास भी इसकी प्रतियां मिल जाती, ब्रिटिश सरकार उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल में बंद कर देती (तिवारी, 2007, p. 86)। इसके साथ ही, इसी समय हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाले पत्र 'सामाचार सुधावर्षण' के साथ अन्य महत्वपूर्ण उर्दू और फारसी भाषा में प्रकाशित होने वाले अखबारों को भी ब्रिटिश सरकार की ये यातनायें झेलनी पड़ी। खासकर 'दूरबीन' (उर्दू) और 'सुल्तानुल-अकबर' (फारसी) जिसे बहादुर शाह जफर के अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावती फरमान को प्रकाशित करने के एवज में यातनाएं झेलनी पड़ी (Ray, 2011)। जिसके उपरांत ब्रिटिश सरकार ने भाषाई पत्रकारिता पर लगाम लगाने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए गलाघोटू 'गैगिंग अधिनियम' लागू कर दिया (K.G.Joglekar, 2005) जिसने भाषाई पत्रकारिता पर लगाम लगाने का कार्य किया।

सन् 1859 में मुकुंद लाल ने आगरा से मासिक पत्रिका 'तारीखे बगावते हिंद' प्रकाशित किया (चंदन, 2007), जिसमें सिर्फ 1857 की क्रांति में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके नायकों के किस्से प्रकाशित किये जाते थे। 1866 में अलीगढ़ से सर सैयद अहमद खान ने 'अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट' के नाम से अंग्रेजी और उर्दू में एक पत्र प्रकाशित किया (चंदन, 2007), जिसने खासतौर से प्रेस की आजादी और ब्रिटिश सरकार के पॉलिटिकल एजेंडे को आम लोगों के समक्ष रखने का कार्य किया। इसी समय, लाहौर से 'अखबारे आम' और 'रहबरे-हिंद', इलाहाबाद से 'कैसूरुल अखबार', देहली से 'अकमलुल-अखबार' और आगरा से 'आगरा

अखबार' प्रकाशित किए गए (चंदन, 2007), जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के आक्रांत, यातनाएं, समाजिक-राजनीतिक एजेंडे को आमजन तक पहुंचाने में एक अहम भूमिक अदा की।

20वीं सदी के प्रारंभ में उर्दू पत्रकारिता ने आमजन के बीच राष्ट्रीय चेतना के विकास और लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग करने का काफी प्रयत्न किया। तत्कालीन सभी समाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों को उर्दू पत्र-पत्रिकाओं ने जगह दी, जिसमें राजनैतिक दलों जैसे- कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आर्य समाज, खिलाफत कमिटी के नित्य कार्यों को विशेष कवर किया गया। साथ ही राष्ट्रीय राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों जैसे- बंगभंग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जालियाँवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ आंदोलनों को विशेष कवरेज दी गई। सन 1903 में 'जर्मींदार' पत्र का प्रकाशन लहौर से हुआ (चटर्जी, 2011), यह पहला उर्दू अखबार था जिसने समाचार एजेंसी की सब्सक्रिप्शन ले रखी थी और इसका सर्कुलेशन तक्ररीबन 30 हजार तक था (चंदन, 2007)। मोहम्मद अली जौहर ने दिल्ली से 1912 में 'नक्रीबे हमदर्द' के नाम से एक अखबार का प्रकाशन प्रारम्भ किया (Ray, 2011)। शीघ्र ही इस अखबार की शोहरत आसमान छूने लगी, इसने अपने लेखों के जरिये ब्रिटिश सरकार के नाक में दम कर रखा था। 1915 में अंग्रेजों ने इस अखबार पर सेंसर लगा दिया, जिसकी वजह से इसे बंद करना पड़ा (चंदन, 2007)।

सन् 1913 में अमेरिका से 'गदर' नामक पत्रिका का प्रकाशन लाला हर दयाल ने किया (चंदन, 2007), जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को विश्व पटल पर आगे बढ़ाने में काफी अहम रोल अदा किया। खासकर भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने में इस अखबार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पत्रिका का प्रसारण बर्मा, थाईलैंड, शंघाई, मलाया और सिंगापुर तक होता था। बाद में इस पत्रिका का नाम 'हिंदुस्तान गदर' रख दिया गया (चंदन, 2007)। इस अखबार का प्रकाशन अंग्रेजी के साथ-साथ, उर्दू, हिंदी, बांग्ला, गुरुमुखी और मराठी में भी हुआ करता था (चंदन, 2007)।

जुलाई 1912 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कलकत्ता से साप्ताहिक पत्रिका 'अल-हिलाल' का प्रकाशन प्रारंभ किया (Ray, 2011), जिसने पराधीन भारतवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये प्रेरित किया। इस पत्रिका का प्रभाव इतना था कि बहुत ही कम समय में इस पत्रिका का प्रसारण 25 हजार तक पहुंच गया, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। यह पत्रिका साम्प्रदायिक सौहार्द और हिंदू-मुस्लिम एकता के एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में स्थापित हुआ और साथ ही, गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन का एक अहम हाथियार साबित हुआ। इस पत्रिका के बढ़ते हुये प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसके 2 हजार रूपये जमानत राशी के जब्त कर लिये और अगली जमानत के लिये 10 हजार रूपये की पेशकश की, जिसे पत्रिका ने जमा करने से मना कर दिया। जिसके कारण 8 नवम्बर, 1914 को इस पत्रिका को बंद करना पड़ा (चंदन, 2007)।

उपसंहार

उल्लेखित उर्दू पत्र-पत्रिकाओं के अलावा निम्नलिखित उर्दू के पत्र-पत्रिकाओं ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनमें विशेषतौर पर स्वामी श्रद्धानंद द्वारा दिल्ली से प्रकाशित 'तेज', लाहौर से अमर सिंह द्वारा प्रकाशित 'शेरे-पंजाब', श्यामलाल कपूर द्वारा 'केसरी', कर्मचंद द्वारा 'पारस', कलकत्ता से 'हिंद', हैदराबाद से प्रकाशित 'पयाम', और बॉम्बे से 'अजमल' आदी महत्वपूर्ण हैं (चंदन, 2007)। 1945 में कांग्रेस ने पंडित जवाहर लाल नेहरू की देखरेख में लखनऊ से 'क्रौमी आवाज' नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन प्रारम्भ किया (चंदन, 2007)। जिसने आजादी के समय साम्प्रदायिक सौहार्द, हिंदू-मुस्लिम एकता बनाए रखने और स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली तथा स्वशासन के अधिकार के प्रति लोगों को सजग करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संदर्भ-सूची:

- Bhatt, S. (2000). *Indian Press Since 1955*. New Delhi: Publications Division.
- Chandan, G. D. (2007). *Urdu Sahafat Ka Safar*. New Delhi: Educational Publishing House.
- Chandra, B., Mukherjee, M., Mukherjee, A., Mahajan, S., & Panikkar, K. (2016). *India's Struggle for Independence 1857-1947*. New Delhi: Penguin Books.
- Chatterjee, D. M. (2011, November 11). *History of Urdu Journalism in India*. Retrieved from https://twocircles.net/https://twocircles.net/2011nov03/history_urdu_journalism_india.html
- Joglekar, K. (2005). *Press Freedom*. New Delhi: Publications Division.
- Kamaal, D. (2014). *तहरीके आजादी में मुसलमानों की कुर्बानियां*. New Delhi: Al Hasnat Books.
- Natarajan, J. (2017). *History of Indian Journalism*. New Delhi: Publications Division.
- Ray, S. (2011). *Freedom Movement and Indian Muslims*. New Delhi: Publication Division.
- Tiwari, D. A. (2007). *सम्पूर्ण पत्रकारिता*. वाराणसी : विश्वविद्यालय प्रकाशन.